उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 4 | अंक 8 | 16-30 अप्रैल 2021 | ₹ 20/-

कुरान में संशोधन की याचिका खारिज

- उर्दू के प्रोत्साहन के लिए धनराशि में वृद्धि
- ईरान के परमाणु प्लांट पर इजरायल का हमला
- इमरान सरकार द्वारा तहरीक-ए-लब्बैक पर प्रतिबंध
- भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में पाकिस्तानी सबसे आगे

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी-51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष: 011-26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक-प्रकाशक: मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी-51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली-110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए-102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, नई दिल्ली-110020 मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

कुरान में संशोधन की याचिका खारिज 04
उर्दू के प्रोत्साहन के लिए धनराशि में वृद्धि 06
इस्लामिक चिंतक मौलाना वहीदुद्दीन खान का निधन 07
वसीम रिजवी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य निर्वाचित 08
खुदा बख्श लाइब्रेरी को बचाने का अभियान 10

विश्व

इमरान सरकार द्वारा तहरीक-ए-लब्बैक पर प्रतिबंध 11
श्रीलंका में 11 अतिवादी संगठनों पर प्रतिबंध 13
अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी 14
श्रीलंका में बुर्के पर प्रतिबंध 16
पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध 17

पश्चिम एशिया

ईरान के परमाणु प्लांट पर इजरायल का साइबर हमला 18
अमेरिका द्वारा संयुक्त अरब अमीरात को अस्त्र-शस्त्र की सप्लाई 19
इस्लामिक एकता के प्रयास 19
इराक से अमेरिकी सेना के निष्कासन की शुरुआत 22
विदेशी हाजियों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार 23

अन्य

भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में पाकिस्तानी सबसे आगे 24
काबा की सुरक्षा के लिए महिला रक्षक 24
सऊदी शासक परिवार द्वारा दान 25
मलियाना हत्याकांड पुन: अदालत में 25
मस्जिद अल-अक्सा में अजान पर प्रतिबंध 25

सारांश

वसीम रिजवी ने कुरान से 26 विवादित आयतों को खारिज करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की थी उसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है और इसके साथ ही वसीम रिजवी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का देश के अधिकांश मुसलमानों ने स्वागत किया है। दुनिया भर के मुसलमान अपने रसूल और धर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। उनका कहना है कि कुरान पाक अल्लाह ने नाज़िल किया था और उसमें किसी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता। शायद यही कारण है कि हर व्यक्ति इस मामले को बेहद संवेदनशील मानते हुए इस विवाद में उलझना नहीं चाहता है।

सबसे रोचक बात यह है कि एक ओर तो शिया समाज ने वसीम रिजवी को अपने सम्प्रदाय और इस्लाम से खारिज करने की घोषणा की थी, मगर दूसरी ओर हाल ही में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्यों के चुनाव में वे विजयी रहे हैं। वे मुतवल्ली (वक्फ या मस्जिद के संरक्षक) कोटे से चुने गए हैं। उनका यह निर्वाचन काफी लोगों को पसंद नहीं आया और कुछ लोगों ने इस मामले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके यह मांग की है कि इस चुनाव को रद्द किया जाए। अभी यह कहना कठिन है कि उच्च न्यायालय इस संवेदनशील मामले में क्या रूख अपनाता है?

मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के मामलों में काफी उदार है। यही कारण है कि उर्दू और अरबी की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए गठित राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद का बजट बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। रोचक बात यह है कि उर्दू के साथ-साथ अरबी की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए भी सरकार अरबों रुपये खर्च कर रही है।

इस्लामिक देशों को एक मंच पर लाने के लिए पहली बार जोरदार प्रयास शुरू हो गए हैं। हालांकि यह अनुमान लगाना कठिन है कि इन एकता प्रयासों के पीछे किसका हाथ है? यह ऐतिहासिक तथ्य है कि प्रारम्भ से ही इस्लाम के विभिन्न फिरके अपना-अपना राग अलापते आ रहे हैं। भले ही इस बात का ढिंढोरा शुरू से पीटा जा रहा है कि दुनिया भर के मुसलमान एक हैं। इस्लामिक देश इन दिनों तीन मुख्य गुटों में विभाजित हैं। ईरान और सऊदी अरब की हमेशा इसलिए ठनी रहती है क्योंकि ईरान शिया सम्प्रदाय से संबंधित है और सऊदी अरब का शासक परिवार सुन्नी सम्प्रदाय की वहाबी विचारधारा का अनुगामी है। 2016 में सऊदी सरकार ने कुछ प्रमुख शिया विद्वानों को फांसी पर लटका दिया था। इस घटना पर ईरान और सऊदी अरब के समर्थक देशों में ठन गई थी। दोनों ने एक दूसरे से राजनयिक संबंध तक तोड़ लिए थे। अब ये दोनों संबंधों को पुनः सुदृढ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से मुस्लिम देशों के नेता के प्रश्न पर सऊदी अरब और तुर्की के बीच ठनी हुई है। पश्चिमी देशों के समाचारपत्रों का दावा है कि तुर्की और सऊदी अरब के नेतागण एक मंच पर आने का प्रयास कर रहे हैं। यह अंदाजा लगाना बेहद कठिन है कि मुस्लिम देशों के एकता के प्रयास कितने सफल हो पाएंगे।

कुरान में संशोधन की याचिका खारिज

उत्तर प्रदेश शिया-सुन्नी बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कुरान पाक से 36 विवादित आयतों को हटाने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की थी उसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है और इसके साथ ही उन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का लगभग सभी उर्दू समाचारपत्रों ने स्वागत किया है।

इंकलाब (13 अप्रैल) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने वसीम रिजवी की याचिका से संबंधित मामले को खारिज करने से पूर्व तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने वसीम रिजवी के वकील आरके रायज़ादा की बात को सुना। उन्होंने कहा कि मदरसों में बच्चों को कुरान की शिक्षा दी जाती है और उनमें यह 26 विवादित आयतें भी पढ़ाई जाती हैं, जिनके कारण आतंकवाद का प्रसार होता है। इसलिए यह जरूरी है कि इन आयतों को कुरान से हटा दिया जाए।

इससे पूर्व रिजवी ने यह दावा किया था कि ये आयतें कुरान के मूल स्वरूप का भाग नहीं हैं और इन्हें बाद में इसमें शामिल किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने इस याचिका को बकवास करार देते हुए रिजवी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पूर्व न्यायाधीश सुहेल एजाज सिद्दीकी ने यह आशा व्यक्त की है कि इस निर्णय के कारण अब लोग आधारहीन याचिकाएं दाखिल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यह अच्छा निर्णय है और इसका हम स्वागत करते हैं।

न्यायालय का फैसला आने के बाद वसीम रिजवी ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे और हम इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक लेकर जाएंगे। क्योंकि आतंकवाद के कारण पूरी दुनिया परेशान है। इसलिए आतंकवाद का प्रचार करने वालों पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। मुस्लिम मजलिस मुशावरात के अध्यक्ष नावेद हामिद ने मांग की है कि वसीम रिजवी को समाज में अशांति फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया जाए।

इंकलाब ने 14 अप्रैल के अंक में नौ समाचार प्रकाशित किए हैं, जिनमें विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वसीम रिजवी की याचिका को खारिज किए जाने का स्वागत किया है। रजा एकेडमी ने दरगाह हजरत निजामुद्दीन पर हाजिरी देकर खुशी प्रकट की है। दो दर्जन प्रमुख इस्लामिक धार्मिक विद्वानों ने भी सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। शिया नेता मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने कहा है कि यह फैसला ऐतिहासिक है और इससे मुसलमानों की आस्था भारतीय न्यायपालिका पर बढ़ी है। जो लोग देश की गंगा जमुनी तहजीब को तबाह करने का प्रयास कर रहे थे उन्हें मुंह की खानी पड़ी है।

इंकलाब (13 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में इस फैसले को ऐतिहासिक फैसले की संज्ञा दी है और कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई शुरू होने से पूर्व ही रिजवी के वकीलों ने यह कहा था कि वे इस याचिका में पेश किए गए सभी तर्कों को वापस लेना चाहते हैं और सिर्फ इसी बात तक सीमित रहना चाहते हैं कि इन आयतों के कारण इस्लामिक मदरसों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। समाचारपत्र ने कहा है कि ये दोनों वकील काफी वरिष्ठ हैं और वे जानते थे कि भारत के संविधान के अनुसार किसी भी धार्मिक पुस्तक में कोई संशोधन करने का अधिकार किसी न्यायालय या संसद को नहीं है।

समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि वसीम रिजवी के पीछे इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं जो जानबूझकर मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ देश में वातावरण बनाना चाहते हैं। संपादकीय में यह भी दावा किया गया है कि संघ के नेता इंद्रेश कुमार से वसीम रिजवी के गहरे संबंध हैं और रिजवी ने इंद्रेश कुमार को राम मंदिर अभियान में मोटी रकम चंदे के रूप में दी थी। इससे जाहिर होता है कि वसीम रिजवी के पीछे कौन है। संपादकीय में यह भी दावा किया गया है कि रिजवी ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने की जो घोषणा की है वह इस देश के साथ गद्दारी है।

रोजनामा सहारा (13 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी करते हुए इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बुद्धिमता से काम लेकर देश में एक नया विवाद पैदा करने के प्रयासों को समाप्त कर दिया है और इस संदर्भ में दुनिया भर में जो भारत की बदनामी हो रही थी उससे भी मुक्ति मिल गई है। समाचारपत्र ने कहा है कि सीबीआई वक्फ बोर्ड में धांधलियों के लिए वसीम रिजवी के खिलाफ जांच कर रही है। इसलिए जेल जाने से बचने के लिए वे इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस फैसले से देश के गैरमुसलमान भी यह समझ जाएंगे कि कुरान में ऐसा कुछ नहीं है जो वसीम रिजवी ने उन्हें बताने की कोशिश की थी।

उर्दू के प्रोत्साहन के लिए धनराशि में वृद्धि

इंकलाब (15 अप्रैल) के अनुसार भारत सरकार ने देश में उर्दू भाषा के प्रोत्साहन के लिए निर्धारित बजट में लगभग दोगुनी वृद्धि कर दी है। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद का बजट जो कि 2014 में 193 करोड़ था उसे 2020 में बढ़ाकर 402 करोड़ कर दिया गया है। इस बात की जानकारी केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद की कार्यकारिणी बैठक में दी। इस बैठक में परिषद के निदेशक डॉ. अकील अहमद ने अपना वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया। इस बैठक में परिषद के उपाध्यक्ष प्रो. शाहिद अख्तर और उर्दू भाषा के अनेक विद्वानों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि उर्दू को प्रोत्साहन देने में मोदी सरकार की विशेष रुचि है। यही कारण है कि मोदी सरकार ने इसके बजट को बढ़ाकर दोगुना से भी ज्यादा कर दिया है। उर्दू के कम्प्यूटर केंद्रों, बहुभाषी डीटीपी केन्द्रों की संख्या भी बढ़ाकर 464 से 559 कर दी गई है। इन केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या भी 1 लाख 6 हजार से बढ़कर 1 लाख 70 हजार हो गई है। इसके अतिरिक्त टेलीग्राफी और ग्राफिक डिजाईनों के केन्द्रों में भी वृद्धि की गई है। अब उनकी संख्या 55 से बढ़कर 74 हो गई है। जबकि छात्रों की संख्या में तीन गुणा वृद्धि हुई है। उर्दू भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए एक वर्ष का डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया है। 2014 में इनमें दो लाख 58 हजार छात्र उर्दू की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अब उनकी संख्या बढ़कर 4 लाख 98 हजार हो गई है और उर्दू का प्रशिक्षण देने वाले केन्द्रों की संख्या भी दोगुनी कर दी गई है।

उर्दू के साथ-साथ अरबी की शिक्षा में भी प्रोत्साहन देने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनके केन्द्रों की संख्या 500 से बढ़कर 800 हो गई है और इनमें अरबी की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। परिषद के निदेशक डॉ. शेख अकील अहमद ने इंकलाब के संवाददाता को बताया कि इस समय हमारे जो कार्यक्रम चल रहे

हैं उनमें विस्तार किया जा रहा है। हमने सरकार से 100 करोड़ का विशेष बजट मांगा है और हमें यह आश्वासन दिया गया है कि उर्दू और अरबी भाषा के प्रोत्साहन के लिए आर्थिक सहायता में कोई कमी नहीं आएगी। परिषद के प्रकाशनों को जनता तक पहुंचाने के लिए दो नई बसें खरीदी जा रही हैं जो कि पूरे देश का दौरा करेंगी।

इस्लामिक चिंतक मौलाना वहीदुद्दीन खान का निधन

रोजनामा सहारा (22 अप्रैल) के अनुसार विख्यात इस्लामिक चिंतक मौलाना वहीदुद्दीन खान का निधन हो गया है। वे 96 वर्ष के थे। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनका जन्म 1925 में आजमगढ़ में हुआ था। उन्होंने इस्लाम पर सैकड़ों पुस्तकें लिखीं और उनके जवाहरलाल नेहरू, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, सुभाष चन्द्र बोस इत्यादि से व्यक्तिगत संबंध थे। वे जमीयत उलेमा से भी संबंधित रहे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने सन् 2000 में उन्हें पद्म भूषण प्रदान किया था। 2020 में उन्हें मोदी सरकार ने दूसरे सबसे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा। मौलाना की पहचान शांति के लिए काम करने वाली बड़ी हस्तियों में की जाती थी। मौलाना को दुनिया के 500 सबसे ज्यादा प्रभावी मुस्लिमों की सूची में भी शामिल किया गया था। खासतौर पर उनकी चर्चा 'राइट्स ऑफ वुमेन इन इस्लाम', 'कांसेप्ट ऑफ जिहाद', 'हाइजैकिंग-अ क्राइम' जैसे लेखों के लिए की जाती है।

मौलाना उस समय कट्टरपंथियों के निशाने पर आए थे जब उन्होंने मुसलमानों से अपील की थी कि वे हिंदुओं की सद्भावना को प्राप्त करने के लिए बाबरी मस्जिद उनके हवाले कर दें। मौलाना ने लगभग दो सौ पुस्तकें लिखी हैं। मौलाना के नजदीकी लोगों का कहना है कि अटल जी ने उन्हें राज्यसभा में मनोनीत

करने की पेशकश की थी मगर मौलाना ने इसे स्वीकार नहीं किया था।

मौलाना वहीदुद्दीन को पद्मभूषण और पद्मविभूषण के अतिरिक्त भी कई बड़े सम्मानों से नवाजा जा चुका है। उन्हें सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव पूर्व द्वारा डेमिर्गुस पीस इंटरनेशनल अवार्ड, मदर टेरेसा की तरफ से नेशनल सिटिजंस अवार्ड और राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त अबूधाबी सरकार ने उन्हें सैयदना इमाम अल हसन इब्न अली शांति सम्मान से भी सम्मानित किया था। उन्होंने इस्लाम और गांधीवाद पर 200 से अधिक पुस्तकों की अंग्रेजी, उर्दू, अरबी और हिंदी में रचना की। वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। इस कारण अतिवादी इस्लामिक विचारधारा के लोगों से उनके काफी मतभेद भी रहे।

कौमी तंजीम, अवधनामा, रोजनामा सहारा ने उनके निधन पर अनेक लेख भी प्रकाशित किए हैं।

इंकलाब (27 अप्रैल) के अनुसार तुर्की के विवादित धार्मिक नेता शेख फतहुल्लाह गुलेन ने मौलाना वहीदुद्दीन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और उन्हें शांति का दूत, कुरान और सुन्नत का पैरोकार और सुन्नत अहले जमात का प्रतिनिधि करार दिया है। गुलेन इन दिनों अमेरिका में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मौलाना भारतीय मुसलमानों के बहुत प्रभावी नेता थे। उन्होंने देश और विदेश में इस्लाम के गौरव के लिए काम किया और इस्लाम और मानवता की सेवा की। उन्होंने भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सामाजिक शांति और विवाद के उन्मूलन के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि मौलाना ने 200 पुस्तकों के रूप में अपनी जो विरासत छोड़ी है आने वाली नस्लें उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करती रहेंगी।

प्रो. अख्तरुल वासे ने कहा कि मौलाना के निधन से देश और मिल्लत को जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति होना असंभव है। जमीयत अहले हदीस के अमीर मौलाना असगर अली ने वहीदुद्दीन खान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें उच्च कोटि का विद्वान कहा है, जिसने समाज के विभिन्न वर्गों में सद्भावना पैदा करने के लिए आजीवन प्रयास किया।

वसीम रिजवी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य निर्वाचित

इंकलाब (21 अप्रैल) के अनुसार बहुचर्चित वसीम रिजवी मुस्लिम जनता और धार्मिक नेताओं के विरोध के बावजूद मुतवल्ली (वक्फ या मस्जिद के संरक्षक) कोटे से केन्द्रीय शिया वक्फ बोर्ड के सदस्य चुने गए हैं। उनके साथ ही भाजपा के एक नेता सैयद फैजी भी

मुतवल्ली कोटे से सदस्य चुने गए हैं। समाचारपत्र के अनुसार शिया वक्फ बोर्ड के चुनाव में मुतवल्ली कोटे से सात लोगों ने नामांकन पत्र भरे थे। इनमें से सैयद जफर रिजवी ने अपना नाम वापस ले लिया था। जबकि छह अन्य लोगों के निर्वाचन के लिए 36 मतदाताओं

में से 29 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हर मतदाता को दो दो वोट देने का अधिकार था। चार वोट अवैध घोषित किए गए। वसीम रिजवी और सैयद फैजी को 21-21 वोट प्राप्त हुए। जबकि आसिम को एक, मुशरिफ हुसैन रिजवी को 5, सांसद कोटे से रामपुर की बेगम नूरबानो ने अकेले ही नामांकन पत्र दाखिल किया था, इसलिए वह निर्विरोध चुनी गईं। बार काउंसिल कोटे से दो वकीलों को भी सरकार मनोनीत करेगी। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग में से भी इस बोर्ड के सदस्य मनोनीत किए जाएंगे।

हालांकि वसीम रिजवी चुनाव जीत गए हैं परंतु उनका सफर अभी कांटों भरा है। एक सामाजिक कार्यकर्ता जमीर नकवी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उनके निर्वाचन को चुनौती दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ दल चोर दरवाजे से वसीम रिजवी को पुन: केन्द्रीय शिया वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वक्फ संपत्ति को बेचने में भारी धांधली की है उन्हें इस चुनाव में खड़ा होने का अधिकार क्यों दिया गया है? उन्हेंाने न्यायालय से मांग की है कि इस चुनाव को रद्द करके पुन: न्यायालय की निगरानी में चुनाव करवाए जाएं।

इंकलाब (22 अप्रैल) के अनुसार जिन मुतवल्लियों ने अपने मत देकर वसीम रिजवी को चुना है उनका शियाओं ने सामाजिक बहिष्कार करने की घोषणा की है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी वसीम रिजवी को वोट देने वालों के बहिष्कार का अभियान जोर-शोर से शुरू हो गया है। कई लोग मुतवल्लियों को फोन पर धमकी भी दे रहे हैं। कश्मीरी गेट की शिया जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहसिन नकवी ने कहा है कि जब कुरान पाक पर संदेह व्यक्त करने वाले शैतान वसीम रिजवी को हम शिया बिरादरी से खारिज कर चुके हैं तो फिर उन्हें शियाओं का प्रतिनिधि होने का अधिकार किसने दिया? राजधानी के 15 अन्य शिया इमामों ने भी उनका विरोध करने की घोषणा की है और कहा है कि जो लोग वसीम रिजवी का समर्थन कर रहे हैं उनका हम पूर्ण रूप से सामाजिक बहिष्कार करेंगे। न हम उनकी नमाज-ए-जनाजा पढ़ेंगे और न ही उनके निकाह पढ़ाने के लिए जाएंगे। शिया समाज पूर्णत: वसीम रिजवी का सामाजिक बहिष्कार करेगी। क्योंकि उन्होंने कुरान और उसके नबी पर संदेह व्यक्त किया है।

इंकलाब (22 अप्रैल) ने वसीम रिजवी के निर्वाचन पर एक विशेष संपादकीय लिखा है जिसमें इस निर्वाचन की आलोचना की गई है और कहा गया है कि शिया समाज द्वारा निष्कासित किसी व्यक्ति को शियाओं का प्रतिनिधि होने का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। संपादकीय में कहा गया है कि हालांकि पूरे शिया समाज ने वसीम रिजवी का बहिष्कार करने की घोषणा की थी मगर इसके बावजूद 29 मुतवल्लियों में से 21 ने उनका समर्थन किया। शायद इसका कारण यह है कि इन सभी मुतवल्लियों को वसीम रिजवी ने ही निर्वाचित किया था। वक्फ संपत्ति के लूट में जिनलोगों ने अपनी जेबें भरीं उनमें ये मुतवल्ली भी शामिल थे। इस निर्वाचन के खिलाफ शिया कौम में जबर्दस्त गम व गुस्सा है और इस बात की निंदा की जा रही है कि कुरान पाक और शियाओं के 12 इमामों की तौहीन करने वाले एक इस्लाम दुश्मन और इस्लाम से खारिज व्यक्ति को वक्फ बोर्ड का सदस्य निर्वाचित कर दिया गया है। संपादक शकील शम्सी ने कहा है कि कुछ इस्लाम दुश्मन ताकतें वसीम रिजवी को पुन: बोर्ड का अध्यक्ष बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ■

खुदा बख्श लाइब्रेरी को बचाने का अभियान

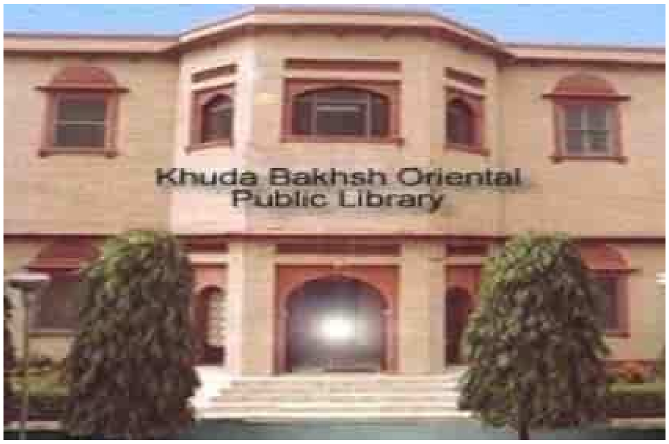

रोजनामा सहारा (25 अप्रैल) के अनुसार बिहार राज्य उर्दू शिक्षक संघ ने यह आरोप लगाया है कि राज्य सरकार एक साजिश के तहत राज्य की 130 साल पुरानी खुदा बख्श ओरिंएट पब्लिक लाइब्रेरी के एक भाग को ध्वस्त करके वहां पर एक फ्लाईओवर बनाने की साजिश कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि बिहार में यह एक मात्र ऐसी संस्था है जिसे यूनेस्को ने हेरिटेज संस्था का दर्जा दे रखा है। इस पुस्तकालय का निर्माण बिहार के एक मुस्लिम जमींदार मौलवी खुदा बख्श ने 1891 में अपने खर्चे से किया था। इस पुस्तकालय में उर्दू, फारसी, अरबी, तुर्की, पश्तो आदि भाषाओं की 21 हजार दुर्लभ पांडुलिपियां हैं और इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों से संबंधित ढ़ाई लाख पुस्तकों का भंडार भी है। यह एक मात्र पुस्तकालय है जिसमें 1200 वर्ष पुराने कुरान की पांडुलिपी रखी हुई है। कहा जाता है कि जब तीसरे खलीफा हजरत अली इस कुरान का पाठ कर रहे थे तो उनकी हत्या कर दी गई थी। विश्व भर में यह एक मात्र कुरान की पांडुलिपी है। मुगल बादशाहों ने हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तकों जैसे श्रीमद्‌भगवद्‌गीता, पुराण और महाभारत के जो फारसी में अनुवाद करवाए थे उनकी भी पांडुलिपियां इस पुस्तकालय में मौजूद हैं। देश के विभिन्न मुस्लिम शासकों के 800 से अधिक दुर्लभ सिक्के के भंडार भी इस स्थान पर है। इस भवन का महात्मा गांधी, सुभाषचन्द्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लार्ड माउंटबेटन निरीक्षण कर चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि मुस्लिम संस्कृति से जुड़ी हुई इस संस्था को राज्य सरकार ने ध्वस्त करने की योजना बनाई है।

ज्ञापन में कहा गया है कि अगर राज्य सरकार ने अपनी योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया तो उसके खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। क्योंकि राज्य सरकार जानबूझकर मुस्लिम संस्कृति से जुड़ी हुई इस संस्था को मिटाना चाहती है।

इंकलाब (29) अप्रैल के अनुसार बिहार के 12 संगठनों से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने इस संस्था को बचाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए मानव श्रृंखला बनाई जा रही है। एक नया संगठन 'खुदा बख्श लाइब्रेरी बचाओ, राष्ट्रीय धरोहर बचाओ' की ओर से सैकड़ों कार्यकर्ता अभियान चला रहे हैं।

एक अन्य समाचार के अनुसार इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अख्तरूल इमान ने कहा है कि खुदा बख्श लाइब्रेरी को बचाने के लिए इत्तेहादुल मुस्लिमीन राज्यव्यापी अभियान चलाएगी और मुस्लिम संस्कृति से संबंधित इस संस्था को बचाने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा और अगर राज्य सरकार नहीं मानी तो इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक भी ले जाया जाएगा।

विश्व

इमरान सरकार द्वारा तहरीक–ए–लब्बैक पर प्रतिबंध

इंकलाब (15 अप्रैल) के अनुसार पाकिस्तान के गृहमंत्री शेख रशीद अहमद ने अतिवादी इस्लामिक पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पर आतंकवाद निरोधक कानून के अनुसार प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस आतंकवादी इस्लामिक पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की पंजाब सरकार ने सिफारिश की थी जिसे केन्द्र सरकार ने मंजूर कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें जानबूझकर इमरान सरकार के खिलाफ देश में अशांति फैला रही हैं। वे सड़कों पर प्रदर्शन करके लोगों को हिंसा के लिए भड़का रहे हैं और पुलिस तथा सेना पर हमले के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है। शेख रशीद ने कहा कि हम इस संदर्भ में एक व्यापक कानून सदन में लाना चाहते थे। मगर हमें इस अतिवादी इस्लामिक संगठन के आक्रामक रूख को देखते हुए यह फैसला करना पड़ा है। उन्होंने इस बात का खंडन किया कि उन्होंने कभी भी इस आतंकवादी इस्लामिक संगठन का समर्थन किया है और न ही वे इस संगठन के प्रमुख खादिम हुसैन रिजवी से ही मिले हैं। उन्होंने यह स्वीकार किया कि काफी दिनों से पाकिस्तान सरकार इस संगठन से बातचीत कर रही थी। वे अशांति फैलाना चाहते थे तथा इस्लामाबाद में हिंसा को भी भड़काना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने काफी तैयारी कर रखी थी। इसलिए हमें उनको रोकने के लिए सुरक्षात्मक प्रतिबंध करने पड़े। इन प्रदर्शनों में कम-से-कम 7 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 500 से ज्यादा घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया में पाकिस्तानी जनता को भड़का रहे हैं। इसलिए सरकार

को इस संस्था के प्रमुख को गिरफ्तार करना पड़ा है। इस संस्था के कार्यकर्ताओं ने पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन किए थे, जिसके कारण पुलिस को काफी मुकदमे दर्ज करने पड़े और सैकड़ों लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। जब हालात पुलिस के नियंत्रण से बाहर हो गए तो स्थिति पर काबू पाने के लिए रहीम यार खान, चकवाल, शेखुपुरा और गुजरांवाला में अर्धसैनिक दस्तों को तलब करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने काफी नुकसान पहुंचाया है।

पाकिस्तानी समाचारपत्रों के अनुसार इस संगठन ने यह मांग की थी कि फ्रांस जानबूझकर पैगम्बर-ए-इस्लाम की तौहीन कर रहा है इसलिए पाकिस्तान सरकार को फ्रांस के साथ अपने राजनयिक संबंध समाप्त कर लेने चाहिए और उसके राजदूत को वापस भेज देना चाहिए। इसके साथ ही फ्रांस के बने हुए उत्पादों को बहिष्कार करना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार इस संगठन के कार्यकर्ताओं ने पूरे पाकिस्तान में यातायात को ठप्प कर दिया था। इसलिए यातायात को बहाल करने के लिए सेना की सहायता लेनी पड़ी। सरकारी सूत्रों के अनुसार 2000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ विशेष न्यायालयों में मुकदमे चलाए जाएंगे।

हैदराबाद से प्रकाशित **सियासत** ने अपने 16 अप्रैल के संपादकीय में पाकिस्तान सरकार द्वारा इस अतिवादी इस्लामिक संगठन पर प्रतिबंध लगाने का स्वागत किया है और कहा है कि यह कदम इमरान सरकार ने आतंकवाद निरोधक कानून के तहत उठाया है। एक सप्ताह से पाकिस्तान के सुरक्षाबलों और तहरीक-ए-लब्बैक, पाकिस्तान के समर्थकों में पूरे देश में खूनी झड़पें हो रही थीं, जिनमें कम-से कम सात लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। समाचारपत्र ने इस बात पर संतोष प्रकट किया है कि पाकिस्तान सरकार ने यह भी फैसला किया है कि देश में अशांति फैलाने वाले संगठनों को जो लोग आर्थिक सहायता देते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री इमरान खान ने फ्रांस के साथ राजनयिक संबंध विच्छेद करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में हिंसा भड़क उठी थी।

सियासत के अनुसार यह अतिवादी इस्लामिक संगठन पाकिस्तान में काफी लोकप्रिय है। 2018 के आम चुनाव में इसे तीस लाख से अधिक मत प्राप्त हुए थे। पहले इस संगठन की बागडोर पाकिस्तान के प्रमुख शिया इस्लामिक उलेमा खादिम हुसैन रिजवी के हाथ में थी, जिसका कुछ महीने पहले निधन हो गया था। उसके जनाजे में दस लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया गया था। इससे इस संगठन की लोकप्रियता का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है।

समाचारपत्र ने कहा है कि पाकिस्तान का इतिहास इस बात का साक्षी है कि वहां हर शासक को इस्लामिक संगठनों से टकराना पड़ता है, जिसके कारण हिंसा भड़कती है। अभी तक पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने उग्रवादी इस्लाम को उभरने नहीं दिया है। जहां तक पाकिस्तान की वर्तमान इमरान खान सरकार का संबंध है इसे पाकिस्तानी सेना का पूरा समर्थन प्राप्त है। समाचारपत्र ने यह भी कहा है कि अगर पैगम्बर-ए-इस्लाम के तौहीन वाले कार्टूनों के प्रकाशन के बाद इमरान सरकार फ्रांस से अपने राजनयिक संबंध विच्छेद कर लेती तो मामला नहीं बिगड़ता।

श्रीलंका में 11 अतिवादी संगठनों पर प्रतिबंध

सियासत (26 अप्रैल) के अनुसार श्रीलंका पुलिस ने 2019 में दो गिरजाघरों पर हुए हमलों के सिलसिले में एक मुस्लिम सांसद रिशद बतीउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। समाचारपत्र के अनुसार इस सांसद का संबंध ऑल सीलोन मक्कल पार्टी से है। और वे श्रीलंका में मंत्री भी रह चुके हैं। रिशद बतीउद्दीन और उनके भाई को रात में उनके घर पर छापा मारकर श्रीलंका के गुप्तचरों ने गिरफ्तार किया है। उन्हें आतंकवाद निरोधक कानून के तहत पकड़ा गया है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार उनका संबंध गिरजाघरों में हमला करने वाले आत्मघाती लोगों के साथ था। जबकि श्रीलंका के इस्लामिक संगठनों ने यह दावा किया है कि इन मुस्लिम नेताओं को राजनीतिक द्वेष के कारण पकड़ा गया है। क्योंकि 2019 के चुनाव में ऑल सीलोन मक्कल पार्टी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे का विरोध किया था। हाल ही में श्रीलंका के रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख कार्डिनल मैल्कम रंजीत ने यह आरोप लगाया था कि सरकार जानबूझकर आतंकवादियों के खिलाफ नरम रूख अपना रही है। इस बयान के बाद इन दोनों मुस्लिम नेताओं को गिरफ्तार किया गया है।

इंकलाब (15 अप्रैल) के अनुसार श्रीलंका में 11 अतिवादी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संदर्भ में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने आतंकवाद निरोधक कानून के तहत विशेष आदेश जारी किया है। जिन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें से अधिकांश मुस्लिम संगठन हैं और उनका संबंध आतंकवादी संगठनों से बताया जाता है। सरकार ने यह भी कहा है कि जिन इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनके तार इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से जुड़े हुए हैं। इन पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है और इन संगठनों से संबंधित लोगों के खिलाफ न्यायालयों में मुकदमे चलाए जाने का भी प्रावधान है, जिसके तहत 20 वर्ष की सजा भी हो सकती है। श्रीलंका सरकार ने इन प्रतिबंधित संगठनों की सारी संपत्ति जब्त कर ली है। सरकार के अनुसार इन संगठनों का संबंध 2019 में इस्लामिक आतंकियों द्वारा दो गिरजाघरों में हुए हमलों से बताया जाता है। इन हमलों में 271 लोग मारे गए थे जो कि रोमन कैथोलिक ईसाई थे। इससे पूर्व श्रीलंका के रोमन कैथोलिक चर्च ने सरकार पर यह आरोप लगाया था कि वह इस्लामिक आतंकियों के साथ नरमी का बर्ताव कर रही है।

अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी

सियासत (16 अप्रैल) के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह घोषणा की है कि 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम आतंकवादी खतरे से अपनी नजर नहीं हटाएंगे और अगर तालिबान ने हमले शुरू किए तो उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जरूरी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका अफगानिस्तान को निरंतर सैनिक सहायता उपलब्ध कराता रहेगा। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए पड़ोसी देशों और विशेष रूप से पाकिस्तान का समर्थन बेहद जरूरी है। नई योजना के अनुसार 2500 अमेरिकी सैनिक और सात हजार नाटो देशों के सैनिक अफगानिस्तान से निकाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सितंबर 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमलों के कारण अमेरिका को अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी थी। उन्होंने कहा है इस क्षेत्र में आतंकवाद के उन्मूलन और शांति बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि पाकिस्तान, रूस, चीन, भारत और तुर्की अफगानिस्तान को ज्यादा से ज्यादा सहायता उपलब्ध कराए क्योंकि यह इन देशों के अपने हित में है कि इस क्षेत्र में शांति बनी रहे।

दैनिक इत्तेमाद (17 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को तालिबान की जीत बताया है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि 1992 में अफगानिस्तान से रूस के सैनिकों के चले जाने के बाद अलकायदा के उन्मूलन के नाम पर अमेरिका ने वहां अपने कदम जमाए थे। गत 20 वर्षों से अफगानिस्तान को अमेरिका ने अपना सैनिक अड्डा बना रखा था। इस अवधि में अमेरिका के चार राष्ट्रपति बदले मगर कोई भी अफगानिस्तान में स्थाई शांति स्थापित करने में सफल नहीं हुआ और अंत में मजबूर होकर अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को तालिबान के साथ समझौते और शांति की वार्ता शुरू करने पर विवश होना पड़ा। अब हालात यह है कि अशरफ गनी की हुकूमत काबुल को छोड़कर पूरे देश में कहीं नहीं है। तालिबान ने लगभग सारे देश पर कब्जा कर रखा है। आम राय यह है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में फिर गृहयुद्ध शुरू हो जाएगा। इस समय अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो देशों के दस हजार से अधिक सैनिक मौजूद हैं। वे वहां की सेना को प्रशिक्षित करते हैं और महत्त्वपूर्ण इमारतों और स्थानों की निगरानी करते हैं। अगर ये विदेशी फौजी वहां से निकल जाते हैं तो उनकी जगह पर अफगान सैनिकों को तैनात करना पड़ेगा। इससे देश के विभिन्न हिस्सों में सरकारी सैनिकों को तालिबान और आईएसआईएस के साथ जिस तरह से जूझना पड़ रहा है उससे सरकारी सैनिकों की स्थिति कमजोर पड़ जाएगी।

अमेरिका को अब अपने इतिहास के इस सबसे लम्बे युद्ध को जारी रखने में कोई रुचि नहीं है।

ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद ही अफगानिस्तान में अमेरिकी मिशन समाप्त हो गया था। खास बात यह है कि चांद और मंगल तक पहुंच रखने वाला अमेरिका तालिबान से बाजी हार गया है। यह इस्लाम की जीत है। 2001 में जब अफगानिस्तान में अमेरिका ने युद्ध शुरू किया था तो उसका लक्ष्य अलकायदा के एक अड्डे को समाप्त करना था जिसने अमेरिका के नाक में दम कर रखा था। अफगानिस्तान में गत बीस वर्षों के दौरान अमेरिका को खरबों डॉलर खर्च करने पड़े हैं और इसके हजारों सैनिक मारे गए हैं। अफगान जनता को भी इस युद्ध में भारी क्षति उठानी पड़ी है। मगर इसके बावजूद अमेरिका इस्लामिक संगठनों की ताकत को समाप्त करने में विफल रहा है।

दैनिक सियासत ने 19 अप्रैल के अपने संपादकीय में अफगानिस्तान में भारत की भूमिका की सराहना की है। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का स्वागत करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में शांति के लिए यह जरूरी है कि वहां के संविधान को लागू किया जाए और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की जाए और विशेष रूप से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। इस संदर्भ में जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ और अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्लाह मोहिब से विचार विमर्श किया है। भारत को इस बात की चिंता है कि अगर अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक हट जाते हैं तो इससे भारत के लिए कई जटिल समस्याएं पैदा हो सकती हैं। क्योंकि भारत शुरू से ही तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार का समर्थन करता आ रहा है। भारत की सहायता से अफगानिस्तान में अनेक नवनिर्माण के कार्य हुए। हालांकि उनमें कई बार भारतीय अधिकारियों को तालिबान ने अपने हमलों का निशाना भी बनाया। भारत के सीडीएस जनरल विपीन रावत ने कहा है कि अगर अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना हट जाती है तो उससे जो शून्यता पैदा होगी उससे अशांति फैल सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि उसको रोकने के लिए अभी से कार्रवाई की जाए। अफगानिस्तान के सुरक्षा सलहाकार ने भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से भी लंबी बातचीत की है ताकि अफगानिस्तान में जिहादी संगठन हिंसा की ज्वाला पुनः न भड़का पाएं। इस हकीकत को सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में अतिवादी इस्लामिक संगठन पुनः खून की होली खेल सकते हैं। हाल ही में वहां पर इस्लामिक स्टेट के आतंकियों का जो प्रभाव बढ़ा है उससे इस क्षेत्र में अशांति पैदा हो सकती है। जरूरी है कि उस पर कड़ी नजर रखी जाए।

इंकलाब (30 अप्रैल) के अनुसार अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान को इस बात की पेशकश की है कि अगर वह देश में शांति स्थापना में भागीदार बनते हैं तो उन्हें सत्ता में भागीदारी दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि हम देश को गृहयुद्ध से बचाना चाहते हैं। इसलिए हम सत्ता में तालिबान को भागीदार बनाना चाहते हैं ताकि अफगानिस्तान में 20 वर्षों से जो खून की नदियां बह रही हैं उनको रोका जा सके। गनी के इस पेशकश का पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने स्वागत करते हुए कहा है कि इससे अफगानिस्तान में शांति स्थापना में सहायता मिलेगी और इस सारे क्षेत्र में विकास का नया युग शुरू होगा।

श्रीलंका में बुर्के पर प्रतिबंध

इंकलाब (28 अप्रैल) के अनुसार श्रीलंका सरकार ने देश भर में बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब कोई महिला बुर्का पहनकर या नकाब लगाकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकेगी। मंत्रिमंडल ने बुर्का और नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया है। इससे पूर्व मार्च महीने में श्रीलंका के रक्षा मंत्री ने यह घोषणा की थी कि श्रीलंका में बढ़ते हुए आतंकी हमलों को रोकने के लिए यह जरूरी है कि देश भर में बुर्का पहनने और नकाब ओढ़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। उनके इस फैसले का विरोध श्रीलंका और अन्य देशों के मुस्लिम संगठनों ने किया था। उन्होंने इसे इस्लाम धर्म में सरकारी हस्तक्षेप की संज्ञा दी थी। इस पर यह मामला श्रीलंका के मंत्रिमंडल को विचारार्थ सौंपा गया था। अब मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है कि देश भर में बुर्का और नकाब कोई भी ओढ़ नहीं सकेगा। श्रीलंका में हाल ही में जिस तरह से इस्लामिक आतंकवाद बढ़ा है उसके बाद देश भर में इस बात की मांग की जा रही है कि बुर्के और नकाब पर प्रतिबंध लगाया जाए। क्योंकि इससे आतंकवाद को प्रोत्साहन मिलता है। पिछले महीने श्रीलंका स्थित पाकिस्तानी राजदूत मोहम्मद साद खट्टक ने बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की योजना का विरोध किया था और कहा था कि देश की सुरक्षा के नाम पर इस तरह के भेदभावपूर्ण कानून लागू किए जा रहे हैं। इससे मुसलमानों की भावना पर चोट लगेगी और यह बुनियादी मानवीय अधिकारों के विरूद्ध है। श्रीलंका के समाचारपत्रों ने यह आशा व्यक्त की है कि इस समय देश में जो वातावरण इस्लामिक हिंसा के खिलाफ है उसको देखते हुए संसद से इस कानून को मंजूरी मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी।

हैदराबाद से प्रकाशित होने वाले **दैनिक इत्तेमाद** ने 30 अप्रैल के संपादकीय में श्रीलंका द्वारा बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की निंदा की है और कहा है कि जिन देशों द्वारा आतंकवाद के बहाने मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था अब उसकी सूची में श्रीलंका भी शामिल हो गया है। समाचारपत्र ने शिकायत की है कि श्रीलंका का रूख शुरू से मुस्लिम विरोधी रहा है। यही कारण है कि कोरोना महामारी की आड़ में वहां की सरकार ने मुसलमानों की लाशों को दफनाने पर प्रतिबंध

लगाते हुए उन्हें जलाने का सिलसिला शुरू कर दिया था। इससे पूर्व श्रीलंका सरकार एक हजार इस्लामिक मदरसों पर भी प्रतिबंध लगा चुकी है। तब यह दावा किया गया था कि इन मदरसों का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप नहीं है। अब हाल ही में वहां के राष्ट्रपति ने 11 इस्लामिक संगठनों पर भी पाबंदी लगा दी है और उन पर भारी जुर्माने लगा दिए हैं। 2019 में दो गिरजाघरों में हुए आत्मघाती हमलों के बाद श्रीलंका की सरकार ने 600 विदेशियों को अपने देश से निष्कासित कर दिया था। इनमें से 200 मुस्लिम धर्म प्रचारक भी शामिल थे। श्रीलंका के एक मंत्री ने तब यह तर्क दिया था कि इन मुसलमान धर्म प्रचारकों को इसलिए देश से निष्कासित किया गया है क्योंकि वे लंकावासियों और विशेष रूप से युवा वर्ग में आतंकवाद का प्रचार करते हैं।

इसके साथ ही श्रीलंका सरकार ने मुस्लिम धर्म प्रचारकों को भविष्य में वीजा न देने की नीति की भी घोषणा की है। श्रीलंका में मुसलमानों की जनसंख्या 2 करोड़ 20 लाख बताई जाती है जो कि कुल जनसंख्या का 9 प्रतिशत है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या 70 प्रतिशत है। जबकि तमिल हिंदुओं की जनसंख्या 15 प्रतिशत है। श्रीलंका में कई दशकों से बौद्ध मुसलमानों को अपना निशाना बना रहे हैं। 2014 और 2018 में वहां मुस्लिम विरोधी दंगे हुए थे। हैरानी की बात यह है कि दंगाईयों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय मुसलमानों को ही चुन-चुनकर निशाना बनाया गया था। इन दंगों के पीछे बोदु बाला सेना का हाथ बताया गया था। बौद्धों ने यह भी मांग की थी कि मस्जिदों में मुसलमानों के नमाज पढ़ने और अजान देने पर भी प्रतिबंध लगाया जाए।

समाचारपत्र ने इस बात पर चिंता प्रकट की है कि मुसलमानों के खिलाफ यह अभियान सिर्फ श्रीलंका तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि यूरोप के लगभग सभी देशों में मुसलमानों पर तरह-तरह का प्रतिबंध लगाया जा चुका है। फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड आदि 8 देशों में बुर्का पहनने और स्कार्फ का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध है। कई देशों में अजान पर प्रतिबंध है। दरअसल दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ जानबूझकर नफरत फैलाई जा रही है। चीन ने तो हद कर दी है। वह अपने मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मुसलमानों के जीवन की व्यवस्था को ताकत से बदलने का प्रयास कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि आज तक किसी भी मुस्लिम देश ने न तो श्रीलंका की निंदा की है और न ही उसे मुसलमानों के उत्पीड़न से रोकने का ही प्रयास किया है।

पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध

सियासत (17 अप्रैल) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इस संबंध में गृहमंत्रालय ने पाकिस्तान की दूरसंचार प्राधिकरण को निर्देश दिया है जिसके तहत ट्विटर, फेसबुक, वाट्सऐप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि इसका कोई कारण सरकारी तौर पर नहीं बताया गया है। पाकिस्तान का एक आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक फ्रांसीसी नागरिकों और कंपनियों के खिलाफ पाकिस्तानी जनता को भड़काने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान सरकार ने सभी फ्रांसीसी नागरिकों और कंपनियों को यह निर्देश दिया है कि वे पाकिस्तान से चले जाएं। पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद स्थित फ्रांसीसी दूतावास के भवन के आसपास सैनिक तैनात कर दिए हैं और किसी भी व्यक्ति को उस क्षेत्र में दाखिल होने की अनुमति नहीं है।

पश्चिम एशिया

ईरान के परमाणु प्लांट पर इजरायल का साइबर हमला

रोजनामा सहारा (13 अप्रैल) के अनुसार ईरान के गुप्त परमाणु केन्द्र को इजरायल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद ने साइबर हमले का निशाना बनाया है। इसका लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम में पलीता लगाना था। इससे पूर्व भी मोसाद ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर चुका है। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा है कि इस हमले का बदला लिया जाएगा और हम इजरायल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यूरेनियम के कार्यक्रम में वृद्धि करने की तैयारी कर रहे हैं। ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रवक्ता बेहरोज कमालवंडी ने कहा है कि इस घटना से कोई कार्यकर्ता घायल नहीं हुआ है और न ही प्लांट को किसी तरह की क्षति पहुंची है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी इजरायल ने हमारे प्लांट को तबाह करने का प्रयास किया था। हम इजरायल से बदला लेंगे। दूसरी ओर ईरानी विदेश विभाग के प्रवक्ता सईद खतीबजादेह ने यह स्वीकार किया है कि इजरायल के साइबर हमले के कारण इस प्लांट की बिजली की सप्लाई ठप हो गई थी।

इंकलाब (13 अप्रैल) के अनुसार पासदारान-ए-इंकलाब के प्रवक्ता ने यह स्वीकार किया है कि इस हमले के कारण ईरान के परमाणु संयंत्र में आग लग गई थी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में जो त्रुटियां पाई गई थीं उनको दूर किया जा रहा है और इस प्लांट में अब अति आधुनिकतम मशीनरी लगाई जा रही है। उनहोंने कहा कि यहूदियों से हर हालत में बदला लिया जाएगा। यूरेनियम संवर्द्धन के जिस प्लांट में धमाका हुआ है वह भूमिगत है। ईरान की समाचार एजेंसी मेहर के अनुसार ईरान के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख अली अकबर सालेही ने यह स्वीकार किया है कि इजरायल की गुप्तचर एजेंसी के साइबर हमले के कारण जो क्षति हुई थी उसे कुछ घंटों के भीतर ही सुधार लिया गया है और इस हमले में हमारे कुछ परमाणु वैज्ञानिक घायल भी हुए हैं।

अमेरिका द्वारा संयुक्त अरब अमीरात को अस्त्र–शस्त्र की सप्लाई

इंकलाब (15 अप्रैल) के अनुसार अमेरिकी सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात को 23 अरब डॉलर के अस्त्र-शस्त्र की सप्लाई करने का फैसला किया है। अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात को इजरायल को मान्यता देने के लिए जब प्रेरित किया था तो उसे इस बात का आश्वासन भी दिया था कि अगर अरब अमीरात इजरायल को मान्यता देता है तो उसे एफ-35 जहाज और अन्य अति आधुनिक संयंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। बाद में अमेरिका में प्रशासनिक परिवर्तन होने के बाद नए राष्ट्रपति बाइडेन ने यह घोषणा की थी कि ट्रम्प प्रशासन ने अरब देशों के साथ अस्त्र-शस्त्रों की सप्लाई के जो समझौते किए थे उन पर पुनर्विचार किया जाएगा। अब अमेरिका के प्रशासन ने संयुक्त अरब अमीरात को 32 अरब डॉलर के अस्त्र-शस्त्र सप्लाई करने के समझौते को हरी झंडी दे दी है। इस संदर्भ में दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय बातचीत हो रही है। ट्रम्प प्रशासन ने इजरायल को मान्यता देने के बदले में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को के साथ कई समझौते किए थे। इसी समझौते के तहत अब अमेरिका के नए प्रशासन ने इन देशों को सैनिक सहायता देने का आश्वासन दिया है।

इस्लामिक एकता के प्रयास

अरब के शाह सलमान ने इस्लामिक जगत में एकता की जो अपील की थी उसका कुछ प्रभाव हुआ है और इस्लामिक जगत के दो प्रतिद्वंद्वियों के बीच एकता के प्रयास तेज हो गए हैं।

रोजनामा सहारा (29 अप्रैल) के अनुसार सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने अल अरबिया टेलिविजन नेटवर्क को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि ईरान हमारा पड़ोसी देश है और हम सब

ईरान के साथ अच्छे और विशेष संबंध रखने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि यह सच है कि अभी तक ईरान का रूख नकारात्मक रहा है। हम उसके साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहते हैं मगर ईरान का विवादित परमाणु कार्यक्रम और उसके द्वारा अन्य देशों में विद्रोहियों की जो सहायता की जा रही है उसके कारण हमारे इरादों में रूकावट आती है। उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ संबंधों को खराब नहीं करना चाहते बल्कि हमारा यह प्रयास है कि ईरान तरक्की करे। क्योंकि हमारे हित आपस में जुड़े हुए हैं। मगर ईरान को भी अपने रूख में बदलाव लाना होगा। उन्होंने कहा कि यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान द्वारा जो सहायता दी जा रही है और ये विद्रोही सऊदी अरब की सीमा पर डेरे डाले हुए हैं उसके कारण हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है। इसलिए हमने हूती विद्रोहियों को पुन: एकबार वार्ता शुरू करने का आमंत्रण दिया है।

2016 में सऊदी अरब के शिया बहुल क्षेत्रों में सऊदी अरब की सुन्नी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे और इस संदर्भ में एक विख्यात शिया विद्वान को 2016 में फांसी पर लटका दिया गया था। इसके बाद दोनों देशों के संबंधों में भारी तनाव आ गया था। हाल ही में ईरान और सऊदी अरब ने एक दूसरे के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास शुरू किया है। मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी कहा है कि हमारा संविधान कुरान है और हम सभी सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में कुरान की शिक्षाओं की रोशनी में ही अपनी नीति तय करेंगे। हमारा मालिक शुरु से कुरान है और कुरान ही रहेगा। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में कभी भी आयकर कानून को लागू नहीं किया जाएगा। हाल ही में जो 15 प्रतिशत वैल्यू एडेड टैक्स लगाया गया है वह अस्थाई है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि सऊदी सरकार बेरोजगारी को खत्म करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। जिसके कारण

अब बेरोजगारी दर 14 प्रतिशत से घटकर 11 प्रतिशत रह गई है।

इंकलाब (20 अप्रैल) के अनुसार ईरान ने यह घोषणा की है कि वह सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहता है और उसकी तरफ से वार्ता के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात का खंडन करने से इनकार कर दिया कि ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौते की कोई गुप्त वार्ता हो रही है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादेह ने कहा कि हम हमेशा से सऊदी अरब के साथ संबंधों को सुधारने में विश्वास रखते हैं। क्योंकि यह दोनों देशों के हित में है। ब्रिटिश संवाद समिति 'रॉयटर्स' ने यह दावा किया है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंधों को सुधारने के लिए गुप्त वार्ता कई महीने से जारी है।

ताजा समाचारों के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने सऊदी अरब के शाह सलमान और युवराज मोहम्मद बिन सलमान से लम्बी वार्ता की है। इस वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने संवाददाताओं को किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया और कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी हितों के मामले पर वार्ता हुई है। इनमें आर्थिक, रचनात्मक और व्यापारिक रिश्ते शामिल हैं।

इत्तेमाद (30 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में सऊदी अरब और ईरान के संबंधों में हो रहे सुधार पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि अरब जगत में सऊदी अरब और ईरान को एक दूसरे का शत्रु समझा जाता था। 2016 में एक विख्यात शिया विद्वान को सऊदी सरकार द्वारा मौत की सजा दिए जाने के बाद ईरान ने सऊदी अरब के दूतावास पर हमला किया था। इसके बाद सऊदी अरब ने ईरान के साथ अपने संबंध विच्छेद करने की घोषणा की थी। हाल ही में सऊदी अरब के स्वर बदले हैं। दूसरी ओर ईरान ने भी शांति वार्ता शुरू करने का संकेत दिया है। इसके अतिरिक्त यमन के युद्ध में भी ईरान ने सहायता देने से इनकार किया है। सऊदी युवराज ने 2017 में पदभार सम्भालने के बाद यह घोषणा की थी कि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को तेल से होने वाली आय पर निर्भर नहीं रखा जाएगा। इसके लिए उन्होंने रूस, भारत और चीन के साथ संबंधों को विशेष रूप से सुधारने का संकेत दिया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने अरब जगत में विभाजन के बीज बोए और इजरायल के प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया। उन्हें यह आशा थी कि वे राष्ट्रपति के चुनाव में यहूदियों के सहयोग से जीत जाएंगे। मगर उनकी यह योजना धूल में मिल गई।

ताजा जानकारी के अनुसार इराक के प्रधानमंत्री के सहयोग से सऊदी अरब और ईरान के उच्चाधिकारियों की एक गुप्त बैठक बगदाद में हुई थी, जिसका लक्ष्य मुस्लिम देशों के संबंधों में सुधार करना था। इस बैठक की पुष्टि इराक के एक सरकारी अधिकारी ने भी की थी।

टिप्पणी : गत कुछ वर्षों में विश्व के मुस्लिम देशों के बीच मतभेद तेजी से बढ़े हैं। दो वर्ष पूर्व सऊदी अरब और उसके छह सहयोगी देशों ने ईरान का न सिर्फ व्यापारिक और आर्थिक बहिष्कार कर दिया था बल्कि उसके साथ जमीन और वायु के संबंध भी विच्छेद कर दिए थे। उन दिनों इस बात की चर्चा गर्म थी कि अमेरिका के इशारे पर इन दोनों के बीच संबंधों में तनाव आया है। वैसे भी ईरान एक शिया देश है और सऊदी अरब पर सुन्नियों के वहाबी सम्प्रदाय का शासन है। शिया और सुन्नियों के संबंध हमेशा कटु ही रहे हैं। ईरान को अलग-थलग करने

के लिए अमेरिका ने विशेष प्रयास किए थे और छह मुस्लिम देशों को इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए तैयार किया था। इन देशों में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर, सूडान, ओमान आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त मुस्लिम जगत के नेतृत्व को लेकर सऊदी अरब और तुर्की के बीच गत दो वर्षों से ठनी हुई थी। अभी तक इस्लामिक देशों के सहयोग संगठन की बागडोर सऊदी अरब के हाथ में था। दो वर्ष पूर्व तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने उसे चुनौती दी थी और मलेशिया में मुस्लिम देशों के सहयोग संगठन की बैठक आयोजित की थी, जिसमें से 57 मुस्लिम देशों में से 27 देशों ने भाग लिया था। इसके जवाब में सऊदी अरब ने रियाद में एक समानांतर सम्मेलन मुस्लिम राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों का आयोजित किया था, जिसमें से 31 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। पाकिस्तान एक मात्र ऐसा देश था जिसने दोनों सम्मेलनों में भाग लिया। ■

इराक से अमेरिकी सेना के निष्कासन की शुरुआत

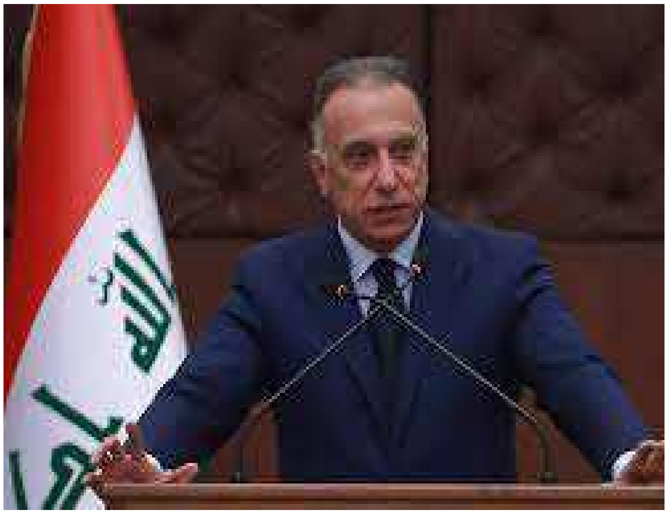

इंकलाब (20 अप्रैल) के अनुसार इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल-कदीमी ने कहा है कि इराक से अमेरिकी सैनिकों के निष्कासन के कार्यक्रम को तय करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें सर्वोच्च सैनिक अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा संस्थान आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट का मुकाबला करने के लिए पहले से बेहतर तरीके से तैयार हैं। इराक की हिज़्बुल्लाह शाखा के एक प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिकी सैनिक इराक में नाटो के फर्जी नाम से सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि इराक में आम जनता और सुरक्षा संस्थानों के खिलाफ जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं उनके पीछे अमेरिका, इजरायल और सऊदी अरब का हाथ है। इराक के सांसद मोहम्मद करीम ने कहा है कि हम यह तय कर चुके हैं कि अमेरिकी सैनिकों को हर हाल में इराक को खाली करना ही होगा। अब यह अमेरिका पर निर्भर करता है कि वह कितनी जल्दी अपने सैनिकों को इराक से बुलाता है।

ताजा सूचना के अनुसार सलाहुद्दीन प्रांत में अमेरिकी सैनिक अड्डों पर इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने रॉकेटों से हमला किया, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। इस्लामिक स्टेट के हमलों को देखते हुए बलाद एयरबेस जो कि इराक में सबसे बड़ी अमेरिकी छावनी है, को इस्लामिक स्टेट के सैनिक निरंतर अपना निशाना बना रहे हैं। हाल ही में इस्लामिक स्टेट के हमलों में एरबिल में स्थित अमेरिकी अड्डों को रॉकेटों का निशाना बनाया जा रहा है।

एक अन्य समाचार के अनुसार इराक के तीन अमेरिकी हवाई अड्डों पर अनेक रॉकेट दागे गए। इस हमले में काफी लोग जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों

में अनेक विदेशी सैनिक भी शामिल हैं। हालांकि इस हमले की जिम्मेवारी किसी ने कबूल नहीं की है। फिर भी यह समझा जाता है कि ये हमले इस्लामिक स्टेट द्वारा किए गए हैं।

विदेशी हाजियों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार

अवधनामा (17 अप्रैल) के अनुसार दुनिया में कोरोन महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए सऊदी सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि अगले वर्ष भी विदेशों से हज यात्रा करने पर लगाए गए प्रतिबंध को जारी रखा जाए। इससे पूर्व हर वर्ष 25 लाख विदेशी हज यात्रा के लिए मक्का मदीना की यात्रा करते थे। जबकि उमरा पूरा वर्ष जारी रहता था, जिसके कारण सऊदी अरब सरकार को हर वर्ष 12 अरब डॉलर की आय होती थी। युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने यह लक्ष्य निर्धारित किया था कि 2020 तक हज यात्रियों की संख्या बढ़ाकर डेढ़ करोड़ और उमरा करने वालों की संख्या बढ़ाकर 50 लाख कर दी जाए ताकि सऊदी अरब में चल रहे आर्थिक संकट को दूर किया जा सके।

उन्होंने यह भी तय किया था कि 2030 तक उमरा करने वालों की संख्या बढ़ाकर तीन करोड़ की जाए। मगर कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए अब सऊदी सरकार को इस कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित करना पड़ा है। इस बार सिर्फ अरब के स्थानीय नागरिकों को ही हज करने की अनुमति दी गई थी और यह अनुमति उन्हें ही दी गई है जो कोरोना का टीका लगवा चुके हों या हज से कम-से-कम छह महीने पूर्व कोरोना को मात दे चुके हों। पहले यह भी सोचा गया था कि कुछ देशों के लोगों को हज और उमरा की अनुमति दी जाए। मगर हाल ही में कोरोना की अनेक म्यूटेशन के प्रकट हो जाने के कारण सरकार को अपने निर्णय को रद्द करने पर मजबूर होना पड़ा है। इस्लाम के इतिहास में यह पहली बार है कि विदेशी नागरिकों के हज करने पर सऊदी सरकार ने प्रतिबंध लगाया हो।

भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में पाकिस्तानी सबसे आगे

इंकलाब (16 अप्रैल) के अनुसार हालांकि भारतवासियों को विदेशों में बसने का जुनून सवार है। मगर इसके बावजूद ऐसे विदेशियों की भी कमी नहीं है जो कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए बेकरार हैं। हैरानी की बात यह है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों ने भारतीय नागरिकता प्राप्त की है। एक सामाजिक कार्यकर्ता जीशान हैदर को सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार 2015 से लेकर 2020 तक 2838 पाकिस्तानी नागरिकों ने भारतीय नागरिकता प्राप्त की। जबकि अन्य 56 देशों के नागरिकों ने जिनकी संख्या 19034 थी भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया। दूसरा स्थान अफगानिस्तान का है। जिसके 666 नागरिक भारतीय नागरिक बने। सबसे रोचक बात यह है कि अमेरिका और ब्रिटेन के नागरिकों ने भी भारतीय नागरिकता को लेने में विशेष रूचि ली। 107 अमेरिकी नागरिकता भारत की नागरिकता प्राप्त की। जबकि ब्रिटेन के 40 नागरिक भारतीय नागरिक बने। इनके अतिरिक्त 14864 बांग्लादेशियों ने भारतीय नागरिकता प्राप्त की।

काबा की सुरक्षा के लिए महिला रक्षक

रोजनामा सहारा (30 अप्रैल) के अनुसार सऊदी अरब में मक्का के बाद अब मदीना स्थित मस्जिद-ए-नबवी की सूरक्षा का भार भी महिला सुरक्षाकर्मियों को सौंपा गया है। इस उद्देश्य से 113 महिला अधिकारियों को विशेष सुरक्षा की ट्रेनिंग दी गई है। ये महिलाएं 24 घंटे मक्का और मस्जिद-ए-नबवी की सुरक्षा करेंगी। इन्हें चार ग्रुपों में बांटा गया है। मदीना पुलिस के महानिदेशक ने कहा है कि ये महिला सुरक्षाकर्मी यात्रियों को सहायता भी देंगी। एक महिला अधिकारी हन्नान अब्दुल रशीद ने

कहा है कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि वह इस्लाम की सेवा कर रही हैं। जबकि रहीम अल-जवाद का कहना है कि सऊदी अरब की पुरानी परम्परागत सामाजिक रचना में भारी परिवर्तन हुआ है और महिलाएं पहली बार अनेक क्षेत्रों में देश की सेवा करने के लिए मैदान में आई हैं।

सऊदी शासक परिवार द्वारा दान

रोजनामा सहारा (18 अप्रैल) के अनुसार सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने समाज कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए दो करोड़ रियाल दान में दिए हैं। जबकि उनके बेटे और युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने एक करोड़ रियाल की धनराशि दान में दी है। यह धनराशि 'एहसान' नामक संगठन द्वारा गरीब लोगों की सहायता के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत वितरीत की जाएगी।

मलियाना हत्याकांड पुनः अदालत में

रोजनामा सहारा (21 अप्रैल) के अनुसार मलियाना हत्याकांड को पुनः भुनाने के लिए पत्रकार कुर्बान अली ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। कुर्बान अली के तार विपक्षी दलों से जुड़े हुए बताए जाते हैं। मलियाना हत्याकांड के संदर्भ में कुर्बान अली ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिसके बाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया कि वह कुर्बान अली द्वारा दायर की गई याचिका के उत्तर के रूप में न्यायालय में शपथपत्र दाखिल करे।

कुर्बान अली के अनुसार 23 मई 1987 को मेरठ के मलियाना बस्ती में सवा सौ से अधिक मुसलमानों को पीएसी ने गिरफ्तार कर लिया था जिनको बाद में गोली मार दी गई। कुर्बान अली ने आरोप लगाया है कि इस हत्याकांड की फाइल ही उत्तर प्रदेश सरकार ने गायब कर दी है। इससे पहले भी एक पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वीएन राय और इस्माइल नामक एक व्यक्ति ने इस मामले को मेरठ की एक न्यायालय में उठाया था। मगर क्योंकि इस कांड से संबंधित सभी दस्तावेज गायब थे इसलिए इस मामले को बंद कर दिया गया था। बताया जाता है कि कुर्बान अली की याचिका का विरोध उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने किया था मगर इसके बावजूद न्यायालय ने उसकी याचिका को स्वीकार कर लिया है।

मस्जिद अल–अक्सा में अजान पर प्रतिबंध

इत्तेमाद (16 अप्रैल) के अनुसार इजरायली सेना ने भारी संख्या में मस्जिद अल-अक्सा में दाखिल होकर वहां नमाज पढ़ने वाले लोगों से मारपीट की और लाउडस्पीकर की तारें काटकर अजान पर प्रतिबंध लगा दिया। इजरायली सेना ने छह फिलिस्तीनियों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया है। जॉर्डन के विदेशमंत्रालय ने यह आरोप लगाया है कि इजरायल जानबूझकर इस्लाम के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और उसके मुस्लिम विरोधी रूख को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

RNI No. DELHIN/2017/72722

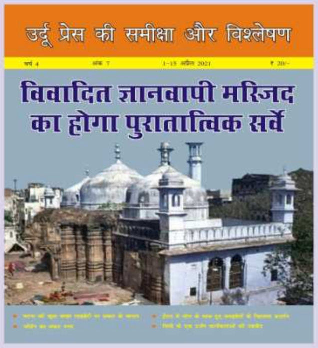

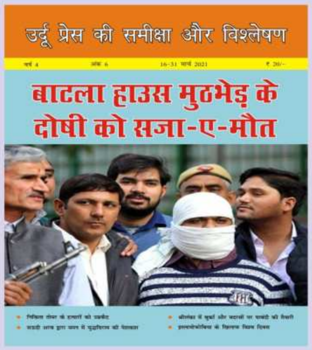

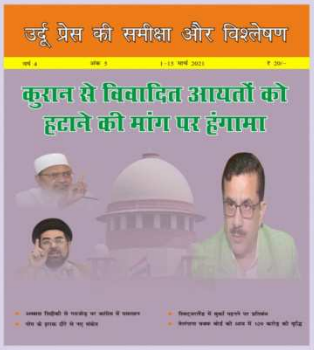

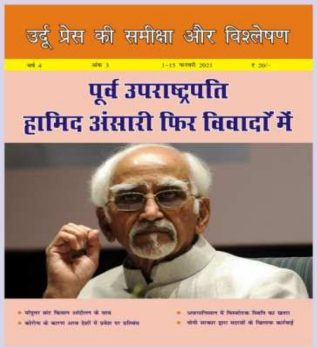

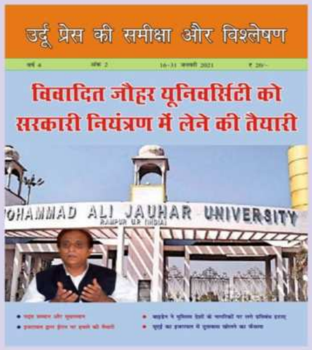

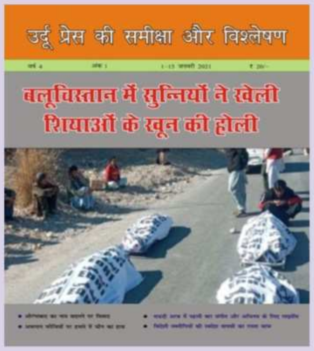

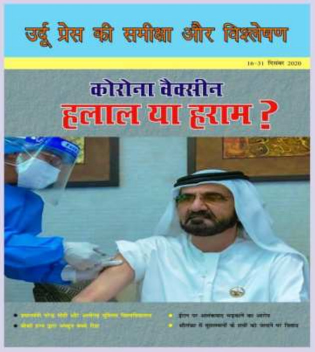

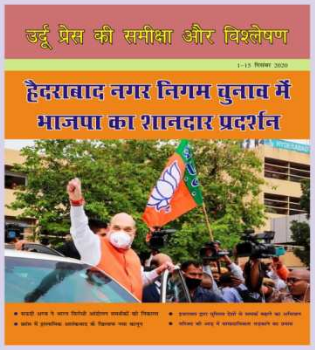

ipf INDIA POLICY FOUNDATION
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, वेबसाइट : indiapolicy@gmail.com